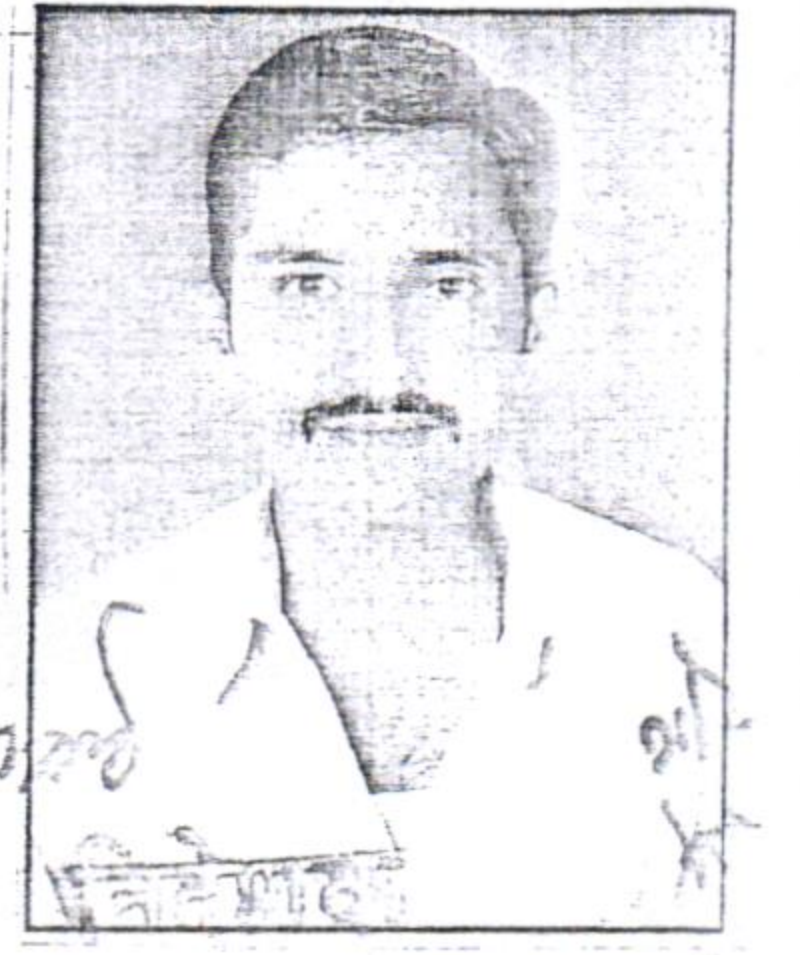


बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
आदेश



सं०- 4372

दिनांक-11/8/25

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के परिपत्र सं०-13293, दिनांक-05.10.1991 (समय-समय पर यथासंशोधित) एवं जिला अनुकम्पा समिति, गया की अनुशंसा ज्ञापांक-27/मु०, दिनांक-30.08.2024 के आलोक में श्री कमल नारायण (पिता-स्व० उमेश कुमार शर्मा, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, राजकीय पोलिटेकनिक, गया), जन्म तिथि-05.06.1985, स्थायी पता- ग्राम/नगर-मारनपुर हनुमान नगर मंदिर के सामने चित्रगुप्त, वार्ड सं०-44, पोस्ट-चाँद चौरा, थाना-विष्णुपद, प्रखंड-गया नगर, अनुमंडल-गया सदर, जिला-गया, बिहार-823001, आरक्षण कोटि-गैर आरक्षित वर्ग को वेतन स्तर-1 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्तों के साथ अनुकम्पा के आधार पर अस्थायी रूप से कार्यालय परिचारी के पद पर नियुक्त करते हुए राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद में पदस्थापित किया जाता है।

यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
2. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. योगदान के समय प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी से निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में किसी प्रकार का दण्ड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
4. योगदान के समय दहेज न लेने-देने के संबंध में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. नियुक्त किये जा रहे व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित के भरण-पोषण का पूर्ण दायित्व होगा तथा मृतक के आश्रित की देखभाल में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।
6. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-1964, दिनांक-31.08.2005 (समय समय पर यथासंशोधित) के अनुसार इन पर नयी पेंशन योजना लागू होगी।
7. योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्ट्या नियुक्ति पत्र से संतुष्ट होने के उपरांत ही कर्मचारी का योगदान 3 (तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेंगे एवं नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अन्दर यह सम्पुष्टि पूर्ण नहीं होती है, तो इनके वेतन की निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं हो जाती है।

Handwritten signature

Handwritten mark

8. नियुक्ति के पश्चात् किसी भी समय शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के फर्जी पाये जाने पर अथवा नियुक्ति के दावे के संबंध में फर्जी या जालसाजी का मामला संज्ञान में आने पर बिना कारण पृच्छा के सेवा समाप्त करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
9. आदेश प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से योगदान सुनिश्चित करना होगा।
10. पदभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(अहमद महमूद)
निदेशक

ज्ञापांक— वि० प्रा० (I) नियुक्ति-02/2015/ 4372 /पटना, दिनांक - 11/8/25

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. जिलाधिकारी —सह— अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, गया को उनके पत्र ज्ञापांक-27/मु०, दिनांक-30.08.2024 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. श्री कमल नारायण (पिता—स्व० उमेश कुमार शर्मा, भूतपूर्व कार्यालय परिचारी, राजकीय पोलिटेकनिक, गया), स्थायी पता— ग्राम/नगर—मारनपुर हनुमान नगर मंदिर के सामने चित्रगुप्त, वार्ड सं०-44, पोस्ट—चाँद चौरा, थाना—विष्णुपद, प्रखंड—गया नगर, अनुमंडल—गया सदर, जिला—गया, बिहार-823001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक